

कार्यालय ग्राम पंचायत--

दुहर भौवा उर्फ कौडा

विकास स्वच्छ सादात

जानपद--

गाजीपुर

पत्रांक

दिनांक 08/06/23

विषय:- जल जीवन मिशन (हर घर जल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

भवदीय

अवगत कराना है कि दिनांक 08/06/23 को प्रातः 10:00 बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बैठक की गयी। बैठक में ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लेखपाल, प्राथमिक/जुहाईस्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापक, शिक्षामित्र, आँगनवाड़ी कार्यकर्त्री/महायिका, कांटेदार ए०एन०एम० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त बैठक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर चार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग 10 प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परिवार के मुखिया द्वारा दी गयी सहमति पत्र संलग्न है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के क्रियान्वयन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमत है।

अतः अनुरोध है कि कृपया यथाशीघ्र ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: परिवारों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र।

भवदीय,

ग्राम पंचायत सचिव  
ग्राम पंचायत...  
वि० ख०-सादात, गाजीपुर

M.P. Singh  
(Director)  
Sushma Foundation  
Varanasi(U.P.)

ग्राम प्रधान

दुहर भौवा उर्फ कौडा  
ग्राम पंचायत-कितुआपर  
वि० ख०-सादात, गाजीपुर







III. सामान्य विवरण

6. 

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): \_\_\_\_\_ किलोमीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण - वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): \_\_\_\_\_ किलोमीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): \_\_\_\_\_

9. कृषि फसल पैटर्न: \_\_\_\_\_



10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): 160 से 180 म्.

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): समतल

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या ससाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं) हाँ  
('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)

13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं) हाँ  
('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)

14. 



पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 56.5 के.एल.डी.  
मवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 700.8 के.एल.डी.  
मवेशी कुंडों की आवश्यक संख्या: 2  
मध्यवर्ती घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 45.6 के.एल.डी.  
अंतिम घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 22.12 के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/घक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति: नहीं

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियाँ, रेल गाड़ियाँ आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति: नहीं

18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त: नहीं


19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: 212/2012, डेंगा, डायरिया, मलेरिया

पानी की गुणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें: \_\_\_\_\_

21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: \_\_\_\_\_

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेबजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): \_\_\_\_\_



कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: \_\_\_\_\_

| संख्या | स्थान |
|--------|-------|
|        |       |



**स्रोत स्थायित्व**

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरेवेल रिचार्ज संरचना है? (हाँ/नहीं)
25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका क्याकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है: गंदले जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 64.8 के.एल.डी.  
 अलग-अलग सोखता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: 35  
 उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड्ढों की आवश्यकता है: 40  
 आवश्यक सामुदायिक सोखता गड्ढों की संख्या: 5  
 क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं): हाँ  
 यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: जयपीनरी  
 यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए? \_\_\_\_\_

**V. जल आपूर्ति योजना**

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एक.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:
- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
  - पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
  - निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/ स्थानीय या धरातली जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.
  - शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.
  - वाटर ग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
  - मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकलान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: उपरोक्त तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: जल पीपिंग मिशन  
 इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित भूमि  
 वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: 2024  
 योजना की लागत: \_\_\_\_\_ भारत सरकार का हिस्सा: X राज्य का हिस्सा: X  
 समुदाय का हिस्सा: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान: \_\_\_\_\_  
 वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क: \_\_\_\_\_ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित पी.डब्ल्यू.एस.: \_\_\_\_\_

**VI. मेल-जोल**

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

| 29. योजना का नाम | संस्थागत संरचना का विवरण | संस्थागत प्रस्तावित जल आपूर्ति संरचना का विवरण | संस्थागत निधि |
|------------------|--------------------------|--|---------------|
|                  |                          |  |               |
|                  |                          |  |               |
|                  |                          |  |               |





| योजना का नाम   | संबंधित मंत्रालय  | संबंधित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं   | प्रस्तावित निधि |
|--|---|---|-----------------|
| एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.सी.)               | भूमि संसाधन विभाग                                       | वाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एस./ कृषि पुनर्गठन, जल निकासी का निर्माण/ वृद्धि आदि।                               |                 |
| जल भंडारों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार                      | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग              | बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार  |                 |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.डी.वाई.)                         | कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण                          | वाटरशेड से संबंधित कार्य  |                 |
| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)                  | कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय                 | जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूक्ष्म-सिंचाई का प्रावधान, एक्लीफसे से जल की निकासी को कम करने के लिए |                 |
| वाणिज्यिक कृषि क्षेत्रों को प्रबंधन और आयोजना प्रतिक्रम            | पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय                | अनुसंधान, जल पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्गठन, वाटरशेड विकास आदि।   |                 |
| प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)                   | कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय                         | आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि।                            |                 |
| राज्य विद्यालय   | महानगर संचालन विभाग मंत्रालय                            | स्कुलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान   |                 |
| आकांक्षी जिला कार्यक्रम  | नीति आयोग   | जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ                                       |                 |
| जिला खनिज विकास निधि (टी.एम.ए.के.)                                 | राज्य   | बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ  |                 |
| एम.पी.एल.ए.डी.   | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) | अंतःग्राम अवसंरचना  |                 |
| एम.एस.ए.एस.ए.डी.   | राज्य   | अंतःग्राम अवसंरचना  |                 |
| संसदीय अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.) | जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य                     | अंतःग्राम अवसंरचना  |                 |
| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना                                     |   |   |                 |

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

आर.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): \_\_\_\_\_

**संपर्क विवरण**

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष:


पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:


जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. अनंजना = 7800340698
2. म.प.सिंघ राजभार = 6330278957
3. दिपा गौर = 8601749249
4. नीतू यादव = 9690427510
5. संध्या = 8052673759

सम ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर: \_\_\_\_\_

  
 सशुभा  
 मध्य प्रदेश-विशुआभार  
 गिरीधर-राज्य, गान्धीपुर

  
 M.P. Singh  
 (Director)  
 Sushma Foundation  
 Varanasi(U.P)